राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या .....1138,1139, 1140, 1141 व 1142/2018.....जिला.....जयपुर

उनवान – मै0 डिजायर एनर्जी सोल्यूशन प्रा0लि0, 401,मान अपसाना टावर, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम जयपुर बनाम (1) अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (2) सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन, जोन–द्वितीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

28.09.2018

खण्डपीठ

श्री नत्थूराम–सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय–सदस्य

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एम.के.झा एवं विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता श्री सीतांशु शर्मा बहस के दौरान उपस्थित हुए।

उपरोक्त पॉचों अपीले मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 18.09.2018 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धार 38(4) सपठित राजस्थान माल एवं सेवा कर अधिनियम,2017 की धारा 174 के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किये गये है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलों में अपीलीय अधिकारी ने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन, द्वितीय जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक–पृथक पारित आदेशों में विवादित कर, ब्याज व शास्ति की मांग राशियों में से शास्ति राशि की वसूली स्थगित की है एवं कर व ब्याज का दायित्व होने से स्थगन के बिन्दु पर सुविधा का संतुलन आंशिक रूप से विभाग के पक्ष में होने से कर व ब्याज की वसूली स्थगित करने का अनुरोध अस्वीकार करते हुए उपरोक्त पॉचों अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया है, जिनके विरूद्ध अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा शेष राशियों पर वसूली हेतु रोक लगाने के संबंध में अपील मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण नीचे लिखी सारणी में दर्शाया जा रहा है:–

अपील संख्या	क.नि.वर्ष	कर (राशि रू. में)	ब्याज (राशि रू. में)	शास्ति (राशि रू. में)	अ.अ. द्वारा दिया गया स्थगन (राशि रू. में)	कर बोर्ड के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित (राशि रू. में)
1	2	3	4	5	6	7
1138/2018	2012–13	7,25,214	5,84,658	14,50,428	14,50,428	12,47,341
1139/2018	2013–14	10,86,501	7,60,497	21,73,002	21,73,002	17,38,348
1140/2018	2014–15	7,64,068	4,43,196	15,28,136	15,28,136	11,30,857
1141/2018	2015–16	45,30,847	20,84,159	90,61,694	90,61,694	61,61,921
1142/2018	2016–17	1,53,01,330	52,02,410	3,06,02,660	03,06,02,660	01,89,73,607

उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री एम.के.झा ने बहस के दौरान तर्क दिया कि आलौच्य अवधियों में अपीलार्थी द्वारा राज्य के बाहर एवं भीतर से सोलर पम्पिंग सिस्टम की एसेसरीज विभिन्न क्रेताओं से क्रय की जाती है इनका संयोजन कर सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम का विक्रय/आपूर्ति क्रेताओं को की जाती है। इस प्रक्रिया में कोई नई वस्तु निर्मित नहीं होती है। सोलर

लगातार.....2

28.09.2018

पम्पिंग सिस्टम में प्रयुक्त समस्त वस्तुए वेट शिड्यूल की प्रविष्टि संख्या–107 (Solar energy equipments; and solar torch) व 135 (Solar Plant & machinery including parts thereof, used in generation of Electricity, from - (a) Soalr Energy; होने से कर मुक्त है। कर निर्धारण अधिकारी ने सोलर पम्पिंग सिस्टम को नयी वस्तु मानते हुए वेट दर के किसी शिड्यूल में अंकित नहीं होने से वस्तुओं के लिये शिड्यूल–पंचम में निर्धारित कर दर से करारोपण किया है साथ ही ब्याज और उक्त बिक्री को करवंचना मानते हुए शास्ति का आरोपण किया गया है जबकि समस्त संव्यवहार अपीलार्थी की लेखा–पुस्तकों में दर्ज और बिक्री विवरणियों में घोषित है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित मै0 शक्ति पम्पस इण्डिया लि0, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त,वा.क.प्रतिकरापवंचन,जोन–द्वितीय, जयपुर निर्णय दिनांक 06.07.2018 व टाटा पावर सोलर सिस्टम लि0, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त,वा.क.प्रतिकरापवंचन,जोन–द्वितीय, जयपुर निर्णय दिनांक 24.07.2018 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशियों की वसूली अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण तक रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।

बहस के दौरान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की अपीले मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया, रेकार्ड कर अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा विवादित कर निर्धारण आदेशों व अपीलीय आदेशों का अवलोकन करते हुए विधिक स्थिति पर दृष्टिपात किया गया। प्रकरण में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि अपीलार्थी द्वारा विक्रीत माल सोलर वाटर पम्पस् क्या अनुसूची–I की प्रविष्टि 107 के अन्तर्गत करमुक्त है अथवा यह अनुसूची–V के अन्तर्गत residuary rate से कर योग्य है तथा कि क्या अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों व विधिक स्थिति के मध्यनजर कर व ब्याज की मांग की वसूली पर रोक लगाने संबंधी प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने में कोई त्रुटि की है ?

इस संबंध में सर्वप्रथम अनुसूची–I की प्रविष्टि क्रमांक 107 एवं 135 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रविष्टियां निम्न प्रकार है :–

107. Solar energy equipment [and soalr torch]

135. Plant and Machinery including parts thereof, used in generation of Electricity, from -

(a) solar Engery

(b) Wind Power and

(c) Biomas as defined under Policy for promoting generation of electricity from Biomass, 2010, of Government of Rajasthan.

उक्त प्रविष्टि संख्या 107 वर्ष 2010–11 हेतु प्रस्तुत राज्य के बजट में घोषणा के अनुसार दिनांक 09.03.2010 को अनुसूची–I में जोडी गई थी।

लगातार 3

28.09.2018

उक्त बजट घोषणा का पैरा 258 उल्लेखनीय है जिसमें गैर पारम्परिक ऊर्जा (conventional energy) को प्रोत्साहित करने के लिये सौर ऊर्जा उपकरणों (Solar power equipments) को कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस क्रम में परीक्षण से प्रतीत होता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रविष्टि सं 135 के जरिये सोलर एनर्जी उत्पादन हेतु प्रयुक्त प्लान्ट एवं मशीनरी को कर मुक्त किया है एवं सोलर एनर्जी इक्यूपमेंट को प्रविष्टि सं 107 से कर मुक्त किया है एवं इसी कारण क्षेत्राधिकार प्राप्त नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्व में धारा 24 में पारित आदेशों में इन्हें करमुक्त माना है। ऐसी स्थिति में मत भिन्नता के आधार पर पारित उक्त अपीलाधीन आदेशों में वस्तुओं के वर्गीकरण संबंधी महत्वपूर्ण बिन्दु निहित होने से इसका परीक्षण किया जाना नितान्त आवश्यक है एवं कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा मैसर्स शक्ति पम्पस् के स्थगन आवेदन संबंधी निर्णय में समान बिन्दु पर स्थगन दिया जा चुका है। अतः प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में है। अतः प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए पांचों प्रकरणों में शेष वसूली योग्य मांग राशि (सारणी के कॉलम सं. 7 में अंकित राशि) की वसूली पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष लंम्बित अपीलों के निस्तारण तक रोक इस शर्त पर लगाई जाती है कि अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप स्थगित राशि के बराबर पर्याप्त जमानत इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के दो माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चत करें।

अपीलों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

आदेश प्रसारित किया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य